



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1948 (शुक्र)

(सं० पटना 1206) पटना बुधवार 30 सितम्बर 2026

सं० 6 एस०एस०(6)47/2013—5272

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

संकल्प

29 सितम्बर 2026

विषय :- बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय एवं अन्य सुविधाओं के पुनर्निर्धारण के संबंध में।

राज्य सरकार के अधीन गठित विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के देय वेतन, मानदेय एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में समीक्षा की गयी। उक्त बैठक में बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उन्हें वेतन, दैनिक भत्ता, आतिथ्य भत्ता संशोधित किये जाने की अनुशंसा की गयी है, जिसके संबंध में संशोधन की कार्यवाही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उक्त बैठक में बिहार राज्य मछुआरा आयोग के सदस्यों को वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर मानदेय एवं अन्य सुविधाओं का युक्तिसंगत पुनर्निर्धारण करने की अनुशंसा की गयी है।

2. अतएव उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त बिहार राज्य मछुआरा आयोग जो संकल्प संख्या-2839, दिनांक-29.11.2013 द्वारा निर्गत है, में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) नियम-5 मछुआरा आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री/उप मंत्री का दर्जा देय होगा। उन्हें वही वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ देय होंगी, जो राज्य मंत्री/उप मंत्री को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के परिपत्र-502, दिनांक-08.03.2007 एवं 298, दिनांक-27.04.2012 के तहत प्रावधान किया गया है, को निम्नवत् रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है - मछुआरा आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री/उप मंत्री का दर्जा देय होगा। उन्हें देय वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्र के अनुरूप होंगी।

(ख) नियम-6 आयोग के सदस्यों को 15000/- रुपये वेतन, आहत बैठकों में भाग लेने पर दैनिक भत्ता 800/- रुपया एवं अनुमान्य यात्रा भत्ता 10/- रुपये प्रति कि०मी० देय होगा। पटना में आवास रहने पर 5000/- रुपये प्रतिमाह की दर से आवास भत्ता देय अनुमान्य होगा। दूरभाष मद में मोबाईल रिचार्ज के लिए 1000/- रुपया प्रतिमाह देय होगा, को निम्नवत् रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है - बिहार राज्य मछुआरा आयोग के सदस्यों को मानदेय, वाहन भत्ता एवं मोबाईल रिचार्ज की सुविधा हेतु समेकित रूप से मानदेय रुपये 50,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से अनुमान्य होगा।

3. यह संशोधन संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। साथ ही, विभाग को इसकी 100 अतिरिक्त प्रति उपलब्ध करायी जाय।

आदेश से,
शीर्षत कपिल अशोक,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1206-571+100-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>